आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Karnataka Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Department

Pension Scheme (K.B.O.C.W.W.B)

कर्नाटक निर्माण मज़दूर कल्याण बोर्ड की यह योजना पंजीकृत भवन मज़दूरों को 60 साल के बाद हर महीने पेंशन देती है।

क्या मिल सकता है

हर महीने 3000 रुपये तक पेंशन। पेंशनधारी की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को उस पेंशन की आधी रकम तक पारिवारिक पेंशन मिल सकती है।

किसके लिए है

कर्नाटक के पंजीकृत भवन और निर्माण मज़दूर, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है।

मुख्य शर्तें

- आप कर्नाटक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण मज़दूर होने चाहिए।
- आपकी उम्र 60 साल पूरी होनी चाहिए।
- 60 साल होने से पहले कम से कम 3 साल तक बोर्ड का लाभार्थी रहना ज़रूरी है।
- किसी दूसरी सरकारी योजना से ऐसा ही लाभ नहीं ले रहे होने चाहिए।
- पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है।

दस्तावेज़

- बोर्ड का असली पहचान पत्र
- नियोक्ता का प्रमाण पत्र
- हर साल जीवित होने का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज़ फोटो

आवेदन कैसे करें

1. बोर्ड की ऑनलाइन सेवा से पेंशन के लिए आवेदन करें। कार्मिक सेवा केंद्र आवेदन में मदद करता है।
2. आवेदन के साथ बोर्ड का पहचान पत्र जमा करें।
3. सीनियर या लेबर इंस्पेक्टर आवेदन जांचते हैं और सहायक श्रम आयुक्त मंज़ूरी देते हैं।
4. बोर्ड पेंशन आदेश और पेंशन नंबर वाला पेंशन पहचान पत्र भेजता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://karbwwb.karnataka.gov.in/42/schemes/en
आधिकारिक आवेदन: https://kbocwwb.karnataka.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/karnataka/ka-bocw-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।